9/12/2022

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकारान वकील उप.
विप्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 का मय नकल पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया जाकर है।

उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षकारान अधि. की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने कथन किया कि उक्त मनवान का प्रार्थना पत्र मनवान धनाराम वगैरा बनाम होमप्रसाद इस न्यायालय में विचाराधीन था जिसकी सुनवाई की तारीख 07.11.2022 को निश्चित थी इस दिनांक को प्रार्थी वकील न्यायालय हाजा में उप. नहीं हो सका तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 का प्रार्थना पत्र अदम पैरवी अदम हाजरी में खारीज कर दिया गया। उक्त प्रार्थना पत्र में तरमीम सुरती मौका रिपोर्ट भी प्राप्त हो ~~चुकी~~ चुकी है और पत्रावली निर्णय की स्टेज पर विचाराधीन थी। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 9 नियम 4 CPC को स्वीकार कर पत्रावली को पुनः बहाल का आदेश फरमावें।

विप्रार्थी अधि. ने बहस में कथन किया कि उक्त प्रार्थना पत्र अदम पैरवी अदम हाजरी में खारीज होता है तो प्रार्थना पत्र को पुनः बहाल हेतु आदेश 9 नियम 4 व्यवहार प्रक्रिया संहिता में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है क्योंकि एक ही पक्षकार द्वारा एक ही वाद कारण के लिए वाद प्रस्तुत करना वर्जित है तो प्रार्थना पत्र को दोबारा न्यायालय में पेश किया जा सकता है प्रार्थना पत्र एक संक्षिप्त प्रक्रिया है इसमें कोई विवाद का बिन्दु नहीं होता है अतः श्रीमान जी उक्त प्रार्थना पत्र को खारीज फरमावें।

उभयपक्षकारान अधिवक्ता गण की बहस सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र में अंकित CPC 151 धारा [illegible] गया। प्रार्थना पत्र आदेश [illegible] है।

अतः न्यायहित [illegible] स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र उसी मुकदमा संख्या पर दर्ज रजिस्टर किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल पत्रावली के संलग्न हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.12.22 10:06:18 IST
Reason: SelfAttested